न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– सॉंवरमल रैगर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :–09/2024

1. नवनीत सोनी वल्द सुनील कुमार सोनी कौम सोनी माहेश्वरी सा0 सोनी सिंधी मौहल्ला बीकानेर
2. हरखचंद भाटी वल्द प्रभुलाल भाटी कौम भाटी सा0 भट्टड स्कूल के पास पुरानी लाईन गंगाशहर बीकानेरे

-----प्रार्थीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री मूलसिंह राठौड वकील प्रार्थी
2. राजपैरोकार उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– 23 जुलाई 2024

1. प्रार्थी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम नोखा उर्फ दैया के खसरा नंबर 107/2 में तादादी 14 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 107/3 में तादादी 12 बीघा 16 बिस्वा कुल तादादी 27 बीघा 08 बिस्वा स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा नवनीत सोनी पुत्र सुनील सोनी जाति सोनी माहेश्वरी निवासी सोनी सिंधी मोहल्ला बीकानेर में जरिये बैयनामा दिनांक 23.01.2015 को लालचंद सोनी पुत्र माहेश्वरलाल सोनी से खरीद की है जिस पर प्रार्थी नवनीत सोनी काबिज है एवं 1/2 हिस्सा लालचंद सोनी से प्रिंस गोलछा पुत्र आसुलाल गोलछा निवासी कोठारी मोहल्ला बीकानेर ने जरिये बैयनामा दिनांक 28.04.2016 को क्रय की थी।
2. उक्त कृषि भूमि बाद खरीद हम प्रार्थीगण ने जरिये बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु तहसील हाजा में आवेदन किया था जिस पर हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण दर्ज कर हमें गिरदावरी नकल पी–35 में दर्ज कर दी, उक्त गिरदावरी में बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 1607 का नोट लगाकर दिया और हमें हमा कि तुम्हारे नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है।
3. प्रिन्स गोलछा ने उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा हरखचंद भाटी पुत्र प्रभुलाल भाटी जाति माली निवासी भट्टड स्कूल के पास पुरानी लाईन गंगाशहर बीकानेर को विक्रय कर दी जो बैयनामा दिनांक 24.09.2021 इन्तकाल सं0 1421 पर दर्ज कर एवं इंतकाल सं0 38 पर दर्ज कर तत्कालीन हल्का पटवारी ने हमें गिरदावरी नकल पी–35 क्रमांक 457 दिनांक 22.12.2021 की दी है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है।

(सॉंवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

... नकल पी–35 क्रमांक 457 दिनांक
22.12.2021 की दी है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उक्त कृषि भूमि की खसरा गिरदावरी की नकल प्रार्थी द्वारा लेने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने गिरदावरी नकल दिनांक 18.10.2021 को जारी कर पी–35 कमांक 6894 दिनांक 18.10.2021 दर्ज कर दे दी थी, जो संलग्न है जिसमें तत्कालीन हल्का पटवारी ने नवनीत सोनी पुत्र सुनील के पक्ष में उक्त भूमि के बैयनामा के आधार पर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया और 1/2 हिस्सा प्रिन्स गोलछा के नाम दर्ज कर दिया जो नामान्तरकरण सं0 1607 के द्वारा दर्ज किया गया है।

5. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। राजपैरोकार एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के बिन्दु 1,2,3 को स्वीकार किया व बिन्दु सं0 2 एवं 3 के संबंध में निवेदन किया कि ग्राम नोखा उर्फ दैया के ना0सं0 1421 व 1607 व 1 एसजेडी के ना0सं0 38 दर्ज शुदा है पर भू0अ0 निरीक्षक की जांच नहीं होने से लंबित है। हमने प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत बैयनामा की छायाप्रति का अवलोकन किया जिससे भूमि का विकय होना सिद्ध होता है।

6. प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्राम नोखा उर्फ दैया के ना0सं0 1421 व 1607 व चक 1 एसजेडी के ना0सं0 38 दर्ज किया हुआ है परंतु लंबित है। लंबित नामान्तरकरण को निर्णित करवाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं आता है। नामान्तरकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवा है जो कि निर्धारित अवधि में पूर्ण की जानी आवश्यक है। नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद लंबित रखना लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की अवहेलना है। अतः उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि लंबित नामान्तरकरणों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में नामान्तरकरण हेतु तय अवधि में नामान्तरकरण निर्णित करें।

7. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 23.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सॉवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत